राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 96 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2020—21 दिनांकः 06.01.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी(रा0से0यो0),
सम्बद्ध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य एवं विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजन हेतु अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा(आडिट) कराये जाने एवं बैंक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—आवं.—02/ सत्तर—रा0से0यो0को0—20—21/2017, दिनांकः 09 नवम्बर, 2020 के क्रम समस्त अनुदान का भुगतान **पी0एफ0एम0एस0** से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा सामान्य एवं विशेष शिविर अनुदान के आहरण संबंधी बैंक खाता पृथक—पृथक संचालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल उपर्युक्त खातों का संचालन सुनिश्चित करें, और खाते का विवरण निर्धारित प्रारूप पर पासबुक/बैंक स्टेटमेण्ट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए कार्यालय में दिनांकः 30.01.2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे आप द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर हेतु संचालित पृथक—पृथक खाते का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 में करते हुए वित्तीय वर्ष 2020—21 का प्राप्त अनुदान अवमुक्त किया जा सके।

सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, जौनपुर के पत्र संख्या—आर—80, दिनांकः 05. 01.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र—2019—20 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत आवंटित अनुदान से संबंधित मात्र अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अभीतक सम्परीक्षा करायीं गयी है। यह बहुत ही खेद का विषय है जबकि आप सभी को सम्परीक्षा के सम्बन्ध में बार—बार निर्देशित किया जा चुका है।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र—2019—20 हेतु आवंटित सामान्य एवं विशेष शिविर अनुदान की सम्परीक्षा(आडिट) नही करयीं जाती हो तो ऐसे महाविद्यालय की इकाईयों को सत्र—2020—21 का अनुदान अमुक्त न किया जाय और आगामी सत्र में उनकी इकाई निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित सत्र सत्र—2019—20 अवमुक्त अनुदान धनराशि की सम्परीक्षा नहीं करायी गयी है, वह सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, कैम्प कार्यालय, वित्त विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के वर्तमान लेखा सम्परीक्षा अधिकारी श्री राम प्रकाश पाण्डेय के मो0 नं0—9559959946, 9450887215 पर सम्पर्क कर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर दिनांकः 31.01.2021 तक सम्परीक्षा(आडिट) कराने का कष्ट करें। जिससे सत्र—2020—21 का अनुदान अवमुक्त किया जा सके।

कृपया उपर्युक्त शासन के निर्देशो का अनिवार्य रूप से अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में सत्र—2019—20 में अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी माननीय कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेलमंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0—1, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा(रा0से0यो0को0)विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, कैम्प कार्यालय, वित्त विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेवसाइट पर लेटेस्ट न्यूज एवं एन0एस0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक